

## वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर सवाल जवाब (हिन्दी)

### 1. आरबीआई द्वारा अनुमोदित लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या है? इस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है?

आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक गिरावट के समाधान के लिए बैंकों एवं ऋण देने वाले संस्थानों को रिजोल्यूशन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया है। इस आर्थिक गिरावट से देशभर के लाखों कर्जदार भारी वित्तीय दबाव में आ गए हैं। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से वित्तीय तौर पर प्रभावित हुए कर्जदारों को राहत देना है।

इस फ्रेमवर्क एवं रेगुलेटरी दिशानिर्देशों के आधार पर फुलर्टन इंडिया ने कोविड-19 की महामारी से प्रभावित हुए लोगों और इकाईयों के ऋणों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी एक नीति बनाई है।

### 2. लोन रिस्ट्रक्चरिंग का पात्र कौन है?

लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मौलिक पात्रता मानदंड ये हैं:

- वे ग्राहक जिन्होंने 1 मार्च, 2020 से पूर्व 30 दिनों से ज्यादा समय तक लोन की कोई किश्त/ब्याज भुगतान नहीं रोकੀ है। बैंक और एनबीएफसी से ₹25 करोड़ तक लोन लेने वाले एमएसएमई के लिए यह अवधि 89 दिन है।
- ग्राहक को आय या कैश फ्लो में कमी/नुकसान के रूप में कोविड-19 महामारी से वित्तीय रूप से प्रभावित होना आवश्यक है।

कृपया नोट करें कि:

- ग्राहक की आय में कमी एवं उस पर इसके वित्तीय प्रभाव की समीक्षा फुलर्टन इंडिया द्वारा दस्तावेजों/जानकारी के आधार पर की जाएगी, जिससे कोविड-19 के कारण कैश फ्लो में कमी प्रदर्शित होती है।
- फुलर्टन इंडिया दिए गए दस्तावेजों के आधार पर रिजोल्यूशन प्लान की स्वीकृति देने से पहले रिस्ट्रक्चर की गई किश्त/ब्याज का भुगतान करने की ग्राहक की क्षमता का मूल्यांकन करेगी।
- फुलर्टन इंडिया इसके अलावा ग्राहक का रिपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और मार्च-अगस्त, 2020 के दौरान आरबीआई मोरेटोरियम लेने के लिए ग्राहक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर भी विचार करेगी।

### 3. क्या मुझे लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ लेना चाहिए?

अगर आप कमाई के नए जरिया से या फिर अपने खर्चों को कम करके मासिक किश्त का भुगतान कर सकते हैं, तो हम आपको यह स्कीम चुनने की सलाह नहीं देंगे।

ऐसा इसलिए कि, इसका निम्नलिखित असर हो सकता है:

1. अतिरिक्त लोन रिस्ट्रक्चरिंग फीस ली जा सकती है, जिससे आपका खर्च बढ़ जाएगा
2. कुल चुकाने योग्य ब्याज बढ़ जाएगा, जो कि आपके लोन को और महंगा बना देगा

#### 4. लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हमारे लोन को कैसे प्रभावित करेगी?

अगर आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग अनुरोध स्वीकार हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कुछ भी हो सकता है:

- a. आपकी मासिक किश्त घट सकती है, जिससे मासिक रिपेमेंट प्रतिबद्धता घट जाएगी
- b. लोन चुकाने की कुल अवधि बढ़ जाएगी। हालांकि, पेमेंट मोरेटोरियम का लाभ लेने/नहीं लेने की स्थिति में शेष अवधि दो साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगी।
- c. लोन की अवधि के दौरान आपका कुल चुकाने योग्य ब्याज बढ़ जाएगा

#### 5. यदि मैं किश्त का भुगतान नहीं करता/करती हूं तो क्या मेरा लोन अपने आप रिस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा?

नहीं। यदि आपने इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं दिया है, या आपका आवेदन खारिज हो चुका है, तो आपको शिड्यूल के हिसाब से किश्त का भुगतान करना होगा। किसी भी तरह की देरी या नाकामी को देरी/डिफॉल्ट माना जाएगा। ऐसे में जुर्माना/बाउंस चार्ज लागू होगा।

#### 6. फिलहाल मेरी आमदनी प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। क्या मैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूं?

आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। लेकिन हमलोग आपके आवेदन का मूल्यांकन करेंगे और पता करके बताएंगे कि आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग आवेदन ऊपर बताए गए मौलिक पात्रता मापदंडों के अलावा क्रेडिट पात्रता जैसे दूसरे कारक के आधार पर फुलर्टन इंडिया की शर्तों को पूरी करता है या नहीं।

#### 7. फुलर्टन इंडिया का कौन सा उत्पाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र है?

फुलर्टन इंडिया के निम्नलिखित उत्पाद इस स्कीम के लिए पात्र हैं:

1. सिक्योरिटी की एवज में लोन
2. प्रॉपर्टी की एवज में लोन
3. पर्सनल लोन
4. टू व्हीलर लोन
5. कमर्शियल व्हीकल लोन
6. बिजनेस लोन
7. एमएसएमई लोन / सिक्योर्ड बिजनेस लोन
8. होम लोन

\*इस योजना के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क और दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पादों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए विचार किया जाएगा।

### 8. लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?

लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के आवेदन के लिए, कृपया नीचे दिए गए कदम उठाएं

1. पेज के सबसे ऊपर स्थित “कॉन्टैक्ट अस” सेक्शन पर क्लिक करें
2. “इग्जिस्टिंग कस्टमर” विकल्प चुनें और अपनी डीटेल्स जैसे कि एलएएन आईडी, मोबाइल नंबर, बगैरह की जानकारी दें
3. ‘नेचर ऑफर क्वेरी/रिक्वेस्ट/कम्प्लेन्ट्स’ ड्रॉपडाउन से “वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग” विकल्प चुनें
4. फिर ‘मोर डीटेल्स’ ड्रॉपडाउन से “वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग ” विकल्प चुनें
5. इसके बाद आपसे आपके रोजगार के स्वरूप, महामारी से आप पर होने वाले वित्तीय असर के स्तर बगैरह की जानकारी मांगी जाएगी
6. जहां तक संभव हो ऊपर मांगी गई जानकारी कृपया सावधानीपूर्वक और सही सही भरें। आपके अनुरोध को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा
7. सभी जरूरी जानकारी देने और उसे वेरिफाई करने के बाद “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करें
8. अगर आपका आवेदन नीति के अनुरूप पाया गया, तो आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करेंगे

कृपया ध्यान रहे जरूरी दस्तावेज जमा करने और फुलर्टन इंडिया द्वारा उसके वेरिफिकेशन के बाद अंतिम पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

### 9. लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट:

नौकरीपेशा कर्जदार के लिए:

1. पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट
2. सह-आवेदक के मामले में सभी पक्षों का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी
3. पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट

स्वरोजगारी कर्जदार/इकाईयों के लिए:

1. पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट
2. जीएसटी रिटर्न
3. इनकम टैक्स रिटर्न

4. उद्यम सर्टिफिकेट

5. एक से अधिक आवेदक/इकाईयों के मामले में सभी संबंधित पक्षों का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी

सिक्योर्ड लोन के मामले में, रिस्ट्रक्चरिंग के समय लोन की रकम पर निर्भर, यदि कुछ अतिरिक्त है तो कलैटरल की जरूरत, तब उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का अनुरोध किया जाएगा।

कृपया ध्यान रखें कि ये लिस्ट सांकेतिक है, और कई दूसरे कारकों को देखते हुए अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन के लिए कहा जा सकता है।

**9. लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मेरी क्रेडिट हिस्ट्री पर क्या असर होगा?**

रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार, आपकी लोन/क्रेडिट फैसिलिटी को क्रेडिट ब्यूरो में “रिस्ट्रक्चर्ड” सूचित किया जाएगा।

**11. फुलर्टन इंडिया से मैंने कई लोन लिए हैं। मुझे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए केवल एक बार आवेदन करना होगा या फिर हर लोन के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा?**

यदि आपने कई लोन लिया है, तो आपको रिस्ट्रक्चर्ड कराने के लिए अलग अलग लोन के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा।

**12. मैं स्वरोजगारी व्यक्ति / एमएसएमई इकाई हूँ, जिसके पास अपनी स्मॉल-स्केल यूनिट है। क्या मैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र हूँ?**

भारत सरकार के अनुसार नीचे दी गई सारणी में एमएसएमई इकाईयों की संशोधित परिभाषा

वर्गीकरण	कंपोजिट मानदंड	माइक्रो	स्मॉल	मीडियम
एमएसएमई – माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इकाईयां	प्लांट और मशीनरी या उपकरण में इससे ज्यादा निवेश नहीं	☐ 1 करोड़	☐ 10 करोड़	☐ 50 करोड़
	सालाना टर्नओवर इससे ज्यादा नहीं	☐ 5 करोड़	☐ 50 करोड़	☐ 250 करोड़

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एमएसएमई वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई श्रेणी में आने वाले वही स्वरोजगारी लोग/इकाई रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम के तहत राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बैंक और एनबीएफसी से 1 मार्च 2020 तक नॉन-फंड फैसिलिटी समेत कुल ₹ 25 करोड़ तक लोन लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया फुलर्टन इंडिया की अपनी नजदीकी शाखा या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें।

फुलर्टन इंडिया अपने स्वरोजगारी ग्राहकों से निवेदन करती है कि वो खुद भारत सरकार के [उद्यम पोर्टल](#) द्वारा एमएसएमई के रूप में जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं

### 13. मार्च-अगस्त, 2020 के दौरान मैंने मोरेटोरियम का लाभ नहीं लिया। क्या मैं अब लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमलोग आपके आवेदन का मूल्यांकन करेंगे और पता करके बताएंगे कि आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग आवेदन ऊपर बताए गए मौलिक पात्रता मापदंडों के अलावा क्रेडिट पात्रता जैसे दूसरे कारक के आधार पर फुलर्टन इंडिया की शर्तों को पूरी करता है या नहीं।

### 14. मेरा लोन को-बॉरोअर के साथ लिया गया था। क्या ओरिजनल लोन लेने वाले को-बॉरोअर को संशोधित रिस्ट्रक्चरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करना जरूरी है?

नियामक और कानूनी नजरिए से ओरिजनल लोन के सभी बॉरोअर/को-बॉरोअर को लोन संरचना में होने वाले किसी परिवर्तन, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग समझौते पर सहमत होना और हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

### 15. किस तरह के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र नहीं हैं?

निम्नलिखित प्रकार के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र नहीं हैं:

1. व्यक्ति/इकाईयों के लिए कृषि कार्यों के लोन, जो फुलर्टन इंडिया द्वारा कृषि लोन के अंतर्गत वर्गीकृत हैं
2. कृषि क्रेडिट सोसायटी, वित्तीय सेवा प्रदाता, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी इकाईयां फुलर्टन इंडिया के कर्मचारी
3. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एक्सपोजर, जो 1 मार्च 2020 के बाद रिशेड्यूल की जा चुकी है
4. कमर्शियल उपयोग के लिए दिए गए लोन पर ऊपर दिए गए बिंदु के अनुसार एमएसएमई दिशानिर्देशों के तहत राहत मिल सकेगी

### 16. लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख कब है?

अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर दें। आपकी पात्रता सीधे कोविड-19 महामारी से आपको हुए वित्तीय नुकसान पर निर्भर करती है। फुलर्टन इंडिया इस स्कीम के संबंध में अपनी नीति के लिए ऊपर बताए गए मापदंडों के आधार पर आपके अनुरोध का मूल्यांकन करेगी।

### 17. क्या अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराने पर मुझे प्रोसेसिंग शुल्क या फीस देनी होगी?

यदि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराते हैं, तो फुलर्टन इंडिया आपसे शुल्क ले सकती है।

### 18. यदि मैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन करता/करती हूँ, तो फिर भी मुझे हर महीने किश्त चुकानी होगी?

जब तक आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग आवेदन पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है, तबतक आपको मौजूदा शिड्यूल के हिसाब से हर महीने किश्त चुकानी होगी। जब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, तो फिर संशोधित शिड्यूल के हिसाब से किश्त चुकानी होगी। कृपया ध्यान दें आपको अपनी किश्त मौजूदा रिपेमेंट शिड्यूल के हिसाब से समय पर चुकानी होगी क्योंकि इस फ्रेमवर्क के तहत रिजोल्यूशन लागू होने की तारीख तक आपके खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

कृपया ध्यान रखें कि अगर आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग आवेदन खारिज किया जाता है तो आपको मौजूदा शिड्यूल के हिसाब से समय पर किश्त चुकानी होगी। किसी भी तरह की देरी / डिफॉल्ट पर आप से अतिरिक्त ब्याज वसूला जाएगा, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करेगा।

### **19. अगर मैं अभी अपनी किश्त चुकाता/चुकाती हूँ और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन नहीं देता हूँ, तो क्या होगा? क्या मैं इस सुविधा का लाभ बाद में ले सकता/सकती हूँ?**

अगर अभी आप किश्त चुकाते हैं, फुलर्टन इंडिया उसका स्वागत करेगी। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि इस स्कीम का लाभ निर्धारित तारीख तक ही दिया जाएगा और इसके लिए उस तारीख के अंदर ही आपको आवेदन देना होगा। आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह ऊपर बताए गए मापदंडों को पूरा करेगा और साथ ही सहायक दस्तावेज सभी सत्यापन जांच सेसही सही गुजरेगा।

\* नियम व शर्तें लागू

\*\* फोक्लोशर चार्जेज के अधीन, नियम व शर्तें लागू

